

क्रमांक:एफ-३(१८)/एलबीएस/शै०/2021/69

दिनांक: 18.11.2021

कार्यालयीय सूचना

विषय:- विश्वविद्यालय को अध्यापकों के लिए खोलने के संबंध में

कोविड-19 महामारी के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए वर्तमान में अनुकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छात्रों के सुव्यवस्थित अध्ययन अध्यापन (आनलाईन माध्यम) हेतु विश्वविद्यालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय को अध्यापकों हेतु दिनांक 06.12.2021 से खोला जाएगा। सभी अध्यापकों द्वारा विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर अपने अपने विभाग में पंजीकृत छात्रों का अध्ययन अध्यापन अपने-अपने विभागीय कक्ष से विभागीय समय-सारणी के अनुसार आनलाईन माध्यम से पूर्ण किया जाएगा। तथा नियमानुसार शैक्षणिक विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विषयवार तथा कक्षावार छात्रों की उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शैक्षणिक विभाग में उचित माध्यम द्वारा प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

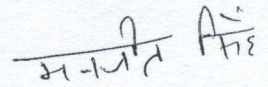
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु जारी दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय में लागू करने तथा सभी विभागों को कक्षाओं का आयोजन करने हेतु सभी आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में निम्नलिखित सदस्यों की समिति का गठन किया गया है।

1. सम्बन्धित पीठप्रमुख एवं विभागाध्यक्ष
2. विशेष कार्याधिकारी (परीक्षा)
3. अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता
4. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर (संगणक विभाग)
3. सहायक कुलसचिव शैक्षणिक विभाग

उपरोक्त समिति विश्वविद्यालय के सभी विभागीय कक्षों की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करेगी। फिर भी आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभाग को आवश्यकतानुसार वांछित सुविधाएं नियमानुसार संबंधित विभाग के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा सकेंगी ताकि आनलाईन माध्यम से अध्ययन अध्यापन हेतु किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों की प्रति समिति के सदस्यों की सूचनार्थ संलग्न है।

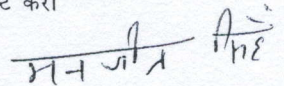
यह सूचना माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृतिनुसार जारी की जा रही है



सहायक कुलसचिव (प्रशासन - II)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1) समस्त पीठप्रमुख एवं विभागाध्यक्ष
- 2) समिति के संबंधित समस्त सदस्यगण
- 3) कुलपति / कुलसचिव के निजी सचिव
- 4) अधिशासी अभियंता को इस आशय से प्रेषित कि समस्त कक्षाओं की सफाई इत्यादि सुनिश्चित कराए।
- 5) संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त सूचना को वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 6) सम्बन्धित पंजिका



सहायक कुलसचिव (प्रशासन - II)